क्रमांक / 14120 / छगवेका / व्यव0 / भ0शु0 / 2024–25 / नवा रायपुर, दिनांक – 19.12.24

प्रति,

समस्त नोडल अधिकारी / शाखा प्रबंधक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 से भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण शुल्क पुनरिक्षित एवं देयक प्रस्तुति बाबत् ।

संदर्भः–(1) Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution on Department of Food & Public Distribution's Letter No. 9-7/2024-SG-I (387086) Krishi Bhavan, New Delhi Date: 07.11.2024

(2) Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution on Department of Food & Public Distribution's Letter No. 9-15/2023-SG-I Krishi Bhavan, New Delhi Date: 04.07.2024

(3) Govt. of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution on Department of Food & Public Distribution's Letter No. 9-15/2022-SG-I (381949) Krishi Bhavan, New Delhi, Date: 13.02.2024

(4) उप–महाप्रबंधक (भण्डा. एवं अनु.), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली का पत्र संख्याः FCI HQ-S- CO 18 (13)/1/2023-SG, Dated 18.11.2024.

(5) GM, Food Corporation of India, RO Raipur Letter's No. RO CG-16016/2/2022-Storage-RO CG Date 25.11.2024

विषयान्तर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 01, 02 एवं 03 के माध्यम से वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के भारतीय खाद्य निगम के 01 वर्षीय आरक्षण के तहत् भण्डारित स्कंध हेतु भण्डारण शुल्क दर निर्धारित किये गये है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं	वस्तु का नाम	पैंकिग का प्रकार	शुद्ध वजन सीमा	पुनरीक्षित भण्डारण शुल्क दर (प्रतिबोरा / प्रतिमाह) रूपये में	वर्ष	भारत सरकार का पत्र क्र0
01	समस्त प्रकार के खाद्यान्न (आरक्षित)	बोरों में	50 किलो तक	4.47	2021–22	9-15/2022-SG-I (381949)/ 13.02.2024
02	समस्त प्रकार के खाद्यान्न (आरक्षित)	बोरों में	50 किलो तक	5.08	2022–23	No. 9-15/2023-SG-I/04.07.2024
03	समस्त प्रकार के खाद्यान्न (आरक्षित)	बोरों में	50 किलो तक	5.10	2023–24	No. 9-7/2024-SG-I (387086)/07.11.24
04	समस्त प्रकार के खाद्यान्न (आरक्षित)	बोरों में	50 किलो तक	5.10	2024–25	

क्रमशः–02

वर्ष 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में जारी दर के अनुसार इस निगम को भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण शुल्क का भुगतान किया जाना है। इस संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः—

1. भारतीय खाद्य निगम हेतु एक वर्ष के आरक्षण (गारंटी अवधि) हेतु वर्ष 2021—22 के भण्डारण शुल्क देयक रुपये 4.47 (50 किलो भरती) प्रतिमाह, वर्ष 2022—23 हेतु भण्डारण शुल्क देयक 5.08 रूपये (50 किलो भरती) प्रतिमाह, वर्ष 2023—24 एवं 2024—25 के भण्डारण शुल्क देयक रुपये 5.10 (50 किलो भरती) प्रतिमाह के दर से भण्डारण शुल्क की प्राप्ति की जावेगी।
2. एक वर्ष से कम अवधि के आरक्षण हेतु निगम द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक दर (अन्य जमाकर्ता हेतु निर्धारित दर) जो लागू हो वसूल की जावेगी। वाणिज्यिक दर निगम द्वारा प्रचलित एवं समय—समय पर परिवर्तन अनुसार लागू होगा।
3. किसी शाखा पर आरक्षण अवधि में यदि आरक्षित मात्रा से अधिक/वास्तविक आधार पर स्कंध भण्डारित होता है, तो आरक्षण से अधिक/वास्तविक आधार पर भण्डारित मात्रा हेतु वाणिज्यिक दर जो लागू हो प्रतिबोरी (50 किलो भरती) प्रतिमाह से वसूली की जावेगी।
4. आरक्षण से अधिक/वास्तविक आधार पर भण्डारित मात्रा हेतु 15 दिन या इससे कम अवधि हेतु निर्धारित भण्डारण शुल्क वाणिज्यिक दर का 50 प्रतिशत एवं 15 दिन से अधिक अवधि हेतु एक माह का पूरा भण्डारण शुल्क वसूल किया जावेगा।
5. भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाने वाले आरक्षण से अधिक/वास्तविक आधार पर संग्रहित स्कंध के प्रत्येक देयक पर भारतीय खाद्य निगम के पदस्थ प्रतिनिधियों से अनिवार्य रुप से प्रति हस्ताक्षरित (पद मुद्रा सहित) करवाकर देयक चार प्रति में मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत किया जावे।
6. प्रत्येक देयक पर शाखा प्रबंधक द्वारा प्रि—रिसिप्ट किया जाना चाहिये। राशि रुपये 5,000/— एवं अधिक के देयक पर रसीद टिकट लगाकर प्रि—रिसिप्ट करें।

भण्डारण शुल्क दरें वर्ष 2021—22 हेतु दिनांक 01.04.2021 से, वर्ष 2022—23 हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2022 से, वर्ष 2023—24 हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2023 से एवं 2024—25 हेतु 01.04.2024 से प्रभावशील होगी। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

19/12

प्रबंध संचालक

क्र0/छगवेका/व्यव0/भ0शु0 दर/2024—25/14120 नवा रायपुर, दिनॉक—19.12.24

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, कांपा, रायपुर।
3. मण्डल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर ।
4. प्रबंधक (लेखा/कार्मिक/तकनीकी)/वसूली अधिकारी, छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
5. प्रोग्रामर, छ0ग0 स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय, निगम की वेबसाईट में अपलोड करें।

19/12/24

प्रबंध संचालक